9/c

कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, प्रयागराज

पत्रांक/ 34473-74 /2019-20 दिनांक 21-03-2020

प्रबन्धक,
संस्कार इण्टरनेशनल स्कूल,
जयन्तीपुर, सुलेम सराय, धूमनगंज, प्रयागराज,

आप द्वारा कक्षा 6 से 8 तक (अंग्रेजी माध्यम) की मान्यता हेतु पत्रावली इस कार्यालय को उपलब्ध करायी गयी थी, जिसकी जॉच खण्ड शिक्षा अधिकारी से करायी गयी। कतिपय कमियों के कारण खण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा असंस्तुत करते हुए पत्रावली वापस की गयी। मान्यता समिति की बैठक दिनांक 21 मार्च, 2020 में लिये गये निर्णयानुसार शासनादेश संख्या-89/अरसठ-3-2018-2041/2018 दिनांक 11 जनवरी, 2019 में निहित शर्तो के अधीन निम्नलिखित कमियां पायी गयीः-

1. विद्यालय सी0बी0एस0ई0 बोर्ड से Affiliated है।
2. प्राइमरी एवं पूर्व माध्यमिक विद्यालय तथा इण्टर कालेज एक ही परिसर में संचालित है।
3. भूमि से सम्बन्धी संलग्न पत्रजात पठनीय नही है तथा यह भी स्पष्ट नही है कि उप निबन्धक कार्यालय से रजिस्ट्री है की नही।
4. नेशनल बिल्डिग कोड प्रमाण पत्र शासनादेश संख्या-89/अरसठ-3-2018-2041/2018 दिनांक 11 जनवरी, 2019 में निहित निर्देशानुसार मुख्य विकास अधिकारी, प्रयागराज महोदय के माध्यम से नही बनवाया गया है।
5. अग्नि शमन यन्त्र प्रमाण पत्र पुराना है।
6. मान्यता पत्रावली में संलग्न किये गये पत्रजात सत्य हैं, उसमें न कुछ गलत है और न कुछ छिपाया गया है। किसी भी पत्रजात के असत्य/गलत पाये जाने पर उसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी प्रबन्ध समिति की होगा से सम्बन्धित नोटरी शपथपत्र संलग्न नही है।

अतः आपको सूचित किया जाता है कि उपरोक्त वर्णित कमियों का निराकरण 03 दिन के भीतर करके कर वस्तुस्थिति से 03 दिन के भीतर इस कार्यालय को अनिवार्य रूप से अवगत कराना सुनिश्चित करें, जिससे आपके विद्यालय की मान्यता प्रकरण की जॉच कराकर पत्रावली आगामी बैठक में समिति के समक्ष प्रस्तुत की जा सकें। यदि उल्लिखित की जा रही कमियों का निराकरण कर आप द्वारा समयान्तर्गत अवगत नहीं कराया जाता तो उक्त मान्यता पत्रावली निरस्त कर दी जायेगी, जिसके लिए आप व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।

21/03/2020
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
प्रयागराज

पृ0सं0/ 34473-74 /2019-20 उसी तिथि को।

प्रतिलिपि खण्ड शिक्षा अधिकारी, नगर क्षेत्र,, प्रयागराज को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इस पत्र की उपरोक्त वर्णित विद्यालय के प्रबन्धक प्रति उक्त विद्यालय के प्रबन्धक को तत्काल प्राप्त कराकर प्राप्ति रसीद इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, यदि आप द्वारा सम्बन्धित विद्यालय को आपत्ति विषयक पत्र उपलब्ध नही कराया जाता और कोई अन्यथा की स्थिति उत्पन्न होती है तो उसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा।

21/03/2020
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
प्रयागराज